

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी, शाहपुरा
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 09/2024 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री देवेन्द कुमार बेली, निवासी सदर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
बाजार शाहपुरा तहसील व जिला अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा।
शाहपुरा।

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05.06.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा के विरुद्ध दिनांक 06.05.2024 को प्राप्त हुई, जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रु का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या 61 एफ 979073 के साथ एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा को दिनांक 02.04.2024 को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।
2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.05.2024 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के कार्यालय के पत्रांक 431 दिनांक 21.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई।
3. प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के पत्रांक 328 दिनांक 01.05.2024 से अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।
4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील में अब अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
5. आदेश आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
जिला कलक्टर
शाहपुरा